

## Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of under Secretary)

S.No.		
18	<b>Recommendation of the State Government:-</b> (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता अति उच्चदाब निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित कोरबा को 132 के. व्ही.विश्रामपुर से परसा पारेषण लाईन के निर्माण हेतु सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल का 15.766 हे. एवं सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल 3.619 हे. कुल 19.385 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।


Signature

Date : 17 -5-2017

Place : Raipur

Name

Designation

  
Atul Kumar Shukla  
Secretary  
(Atul Kumar Shukla)  
C.G. Secretary  
Govt. of Chhattisgarh  
Forest Department  
Maharajaya, New Raipur